रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11112022-240198
CG-DL-E-11112022-240198

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 723] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 10, 2022/कार्तिक 19, 1944
No. 723] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 10, 2022/KARTIKA 19, 1944

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2022

**सा.का.नि. 811(अ).**—पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उसके द्वारा प्रभावित होने वाले सामान्य जन की सूचना के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के तहत अपेक्षित निम्नलिखित प्रारूप नियम बनाती है; और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर उस तिथि जब इस अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाती है से साठ दिनों की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा।

प्रारूप अधिसूचना में निहित प्रस्तावों पर कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक व्यक्ति उसे लिखित रूप से केन्द्र सरकार के विचार के लिए ऊपर निदिष्ट अवधि के भीतर सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003, को या ई-मेल के पते : mscb.cpcb@nic.in और sonu.singh@gov.in पर भेज सकता है।

1. संक्षिप्त नाम और आरम्भ:

(1) इन नियमों को पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2022 कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष पश्चात् लागू होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 में, अनुसूची I में, साझा बहिस्राव शोधन संयंत्रों से संबंधित क्रम संख्या 55 पर: ख. साझा बहिःस्राव शोधन संयंत्र के उपचारित बहिस्राव गुणवत्ता मानक:

i. सामान्य गुणवत्ता पैरामीटर "जैविक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) 3,27°C", (mg/ I में सांद्रता) की शब्दावली को "जैव-रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) 3,270 सी" शब्दावली से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

ii. सामान्य गुणवत्ता पैरामीटर "निर्धारित घुलित ठोस, एफडीएस, (मिलीग्राम/ I में सांद्रता(, की शब्दावली को "कुल घुलित ठोस (टीडीएस)" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

iii. विशिष्ट गुणवत्ता पैरामीटर "ट्रिवेलेंट क्रोमियम" को "कुल क्रोमियम" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

iv. विशिष्ट गुणवत्ता पैरामीटर "तापमान (°C)" के लिए मौजूदा नोट "परिवेशी जल तापमान से परे 5°C से अधिक नहीं होगा" को नोट "प्राप्त करने वाले जल निकाय के परिवेशी तापमान से परे 5°C से अधिक नहीं होगा" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा

v. मौजूदा नोट सं. 2, को साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र से उपचारित बहिस्राव के संबंध में "अधिकतम अनुमेय कुल घुलित ठोस (टीडीएस) सीमा 2100 mg/l होगी। हालांकि, संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा उस मामले में सीमा में छूट दी जा सकती है, जहां सदस्य उद्योगों को सेवन (आपूर्ति) जल में टीडीएस 1100 mg/l से ऊपर है और अधिकतम 1000 mg/l तक योगदान की अनुमति है, बशर्ते सीईटीपी से उपचारित बहिस्राव में 3100 mg/l का अधिकतम मान अतिक्रमित नहीं है", द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

vi. नोट संख्या 5 समाविष्ट किया जाएगा "एक सीईटीपी के लिए, यदि प्रमुख योगदान देने वाले औद्योगिक क्षेत्र के क्षेत्रीय मानदंड सीईटीपी मानदंडों से कठोर हैं, तो वही लागू होंगे और उन विशिष्ट गुणवत्ता मानकों के लिए सीईटीपी मानकों के स्थान पर प्रयुक्त होंगे"।

[फा. सं. क्यू-15017/18/2014-सीपीडब्ल्यू]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

**टिप्पणी :** मूल नियमों को दिनांक 19 नवम्बर, 1986 की संख्या का.आ. 844 (अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और दिनांक 5 सितम्बर, 2022 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 682 (अ) द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया था।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

## NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 2022

**G.S.R. 811(E).**—In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following draft rules, as required under sub-rule (3) of the rule 5 of the Environment (Protection) rules 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public.

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period specified above to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi – 110 003, or send it to the email address: mscb.cpcb@nic.in and sonu.singh@gov.in.

1. **Short title and Commencement** (1).—These rules may be called Environment (Protection) (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force after one year from the date of their publication in the Official Gazette. 2. In the Environment (Protection) Rules 1986, in Schedule I, at serial number 55 relating to Common Effluent Treatment Plants: B. Treated Effluent Quality Standards of Common Effluent Treatment Plant:

i. The terminology for general quality parameter "Biological Oxygen Demand (BOD)3, 27°C", (Concentration in mg/l), shall be substituted by the terminology "Biochemical Oxygen Demand (BOD)3, 270C".

ii. The general quality parameter "Fixed Dissolved Solids, FDS, (Concentration in mg/l), shall be substituted by the "Total Dissolved Solids (TDS)".

iii. The specific quality parameter "Trivalent Chromium", shall be substituted by "Total Chromium".

iv. The existing note "Shall not exceed more than 5°C above ambient watertemperature" for the specific quality parameter "Temperature (°C)", shall besubstituted by note "Shall not exceed more than 5°C above ambienttemperature of the receiving water body".

v. The existing Note no. 2, shall be substituted by "The maximum permissibleTotal Dissolved Solids (TDS) limit w.r.t. treated effluent from a CommonEffluent Treatment Plant shall be 2100 mg/l. However, the limit may be relaxedby the concerned SPCB/PCC, in case where TDS in intake (supplied) water tothe member industries is above 1100 mg/l and a maximum contribution up to 1000 mg/l is permitted, provided the maximum value of 3100 mg/l is not exceeded in the treated effluent from CETP".

vi. A Note no. 5 shall be inserted "For a CETP, if the sectoral norms of thepredominant contributing industrial sector are stringent than the CETP norms,the same shall be applicable and supersede the CETP standards for thosespecific quality parameters".

[F.No. Q-15017/18/2014-CPW]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

**Note :** The principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.O. 844(E), dated the 19th November, 1986 and lastly amended vide notification G.S.R. 682(E), dated the 05th September, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2022.11.11 15:28:14 +05'30'